कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
"वर्कचार्ज वर्ग"
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
Website-http://pwd.uk.gov.in **E-Mail-cepwdua@rediffmail.com**

पत्र संख्याः–413 /131 का0प्र0–अधि0 / 19 दिनांकः–25 / जून / 2019

"कार्यालय ज्ञाप"

स्थानान्तरण अधिनियम 2017(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–01, वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में कार्यरत निम्न अमीन को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0–04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते है।

क्र0सं0	नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1.	श्री मनवर सिंह चौहान, अमीन	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गैरसैण।	रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर गढवाल।	एक्ट की धारा 17 (1) के (ग) के अनुसार।

1. सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है, कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी को कार्यस्थल आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/=
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मु0)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष , लो0नि0वि0, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय / रा0मा0, लो0नि0वि0, पौडी / देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सातवां /10वां रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर / देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण / रा0मा0, खण्ड ,लो0नि0वि0, गैरसैण / श्रीनगर गढवाल।
5. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी, गैरसैण / श्रीनगर।
6. श्री मनवर सिंह चौहान, अमीन, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गैरसैण।

25.6.19
मुख्य अभियन्ता (मु0)
25.6.19

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
"वर्कचार्ज वर्ग"
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
Website-http://pwd.uk.gov.in **E-Mail-cepwdua@rediffmail.com**

पत्र संख्याः–414 /131 का0प्र0–अधि0/19 दिनांकः–25/जून/2019

"कार्यालय ज्ञाप"

स्थानान्तरण अधिनियम 2017(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–01, वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में कार्यरत निम्न अमीन को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0–04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते है।

क्र0सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1.	श्री सुरेश चन्द्र रमोला, अमीन	अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, घनसाली।	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।	एक्ट की धारा 17 (1) के (ग) के अनुसार।

1. सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है, कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यस्थल आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/=
(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मु0)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष , लो0नि0वि0, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय, लो0नि0वि0, टिहरी/देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 8वां/नवम वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी /देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड /निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, घनसाली/देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
6. श्री सुरेश चन्द्र रमोला, अमीन, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, घनसाली।

25.6.19.
मुख्य अभियन्ता (मु0)
25.6.19